



**कार्यालय :- प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची**

वन भवन, डोरण्डा, राँची

E-mail :- pccf-development@gov.in, Phone & Fax No. 0651-2481813



पत्रांक : 01/यो0ब0-27/2018-1220 दिनांक : 28/9/18

प्रेषक,

प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास
झारखण्ड, राँची ।

सेवा में,

वन प्रमण्डल पदाधिकारी,
हजारीबाग पश्चिमी वन प्रमण्डल,
हजारीबाग

विषय :-

वित्तीय वर्ष 2018-19 में कार्यान्वित की जाने वाली "सिल्विकल्चर ऑपरेशन" योजना (अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना) के अंतर्गत वनों का संवर्द्धन, प्राकृतिक पुर्नजनन, जल एवं भू-संरक्षण वृक्षारोपण कार्य हेतु **रु0 36.241 (छत्तीस लाख चौबीस हजार एक सौ रुपये)** मात्र अतिरिक्त राशि का ऑन लाईन उप आवंटन (Online Sub Allotment) ।

प्रसंग:-

इस कार्यालय का उप आवंटन आदेश संख्या 01/यो0ब0-27/2018-1181 दिनांक 18.09.2018

महाशय,

उपरोक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्र के आलोक में 98 हे0 के लिए कुल **रु0 36.241 (छत्तीस लाख चौबीस हजार एक सौ रुपये)** मात्र का अतिरिक्त उप आवंटन निम्नलिखित इकाईयों में किया जाता है :-

प्राथमिक इकाई	विपत्र कोड	(राशि लाख में)
मजदूरी	19S240601789400103	23.263
आपूर्ति एवं सामग्री	19S240601789400323	12.978
कुल :-		36.241

- इस राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी **अनुलग्नक-1** पर वर्णित वन प्रमण्डल पदाधिकारी होंगे। कार्य दर **अनुलग्नक-2**, स्थल विवरणी **अनुलग्नक-3** पर तथा ऑन-लाईन उप आवंटन की प्रति **अनुलग्नक-4** पर द्रष्टव्य है।
- सभी शर्त/शीर्ष प्रासंगिक पत्र द्वारा निर्गत उप-आवंटन के अनुरूप रहेंगे।
- यह राशि पूर्व उप-आवंटित की गई राशि के अतिरिक्त है।

अनुलग्नक :- यथोक्त ।

विश्वासभाजन,

प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची

ज्ञापांक- 01/यो0ब0-27/2018-1220 दिनांक- 28/9/18

प्रतिलिपि :- अनुलग्नक सहित क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, हजारीबाग/ वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, हजारीबाग/ इनविस सेन्टर, डोरण्डा, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक :- यथोक्त ।

प्रधान मुख्य वन संरक्षक विकास,
झारखण्ड, राँची

ज्ञापांक- 01/यो0ब0-27/2018-1220 दिनांक- 28/9/18

प्रतिलिपि :- अनुलग्नक सहित कोषागार पदाधिकारी, हजारीबाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक :- यथोक्त ।

प्रधान मुख्य वन संरक्षक विकास,
झारखण्ड, राँची

वित्तीय वर्ष 2018-19 में कार्यान्वित की जाने वाली सिल्वीकल्चरल ऑपरेशन योजना (अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना) के अन्तर्गत वनों का संवर्द्धन, प्राकृतिक पुनर्जनन, जल एवं भू-संरक्षण तथा 200 पौधा प्रति हे० वृक्षारोपण अग्रिम कार्य का प्रमण्डलवार भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य

क्र० सं०	वन प्रमण्डल का नाम	भौतिक लक्ष्य (हे०)	2018-19 (अग्रिम कार्य)		
			मजदूरी	आपूर्ति एवं सामग्री	कुल
			23738.00	13243.14	36981.14
हजारीबाग रीजन					
1	हजारीबाग पश्चिमी वन प्रमण्डल	98	23.263	12.978	36.241
योग:-		98	23.263	12.978	36.241

प्रधान मुख्य वन अधिकारी, विकास,
झारखण्ड, राँची

योजना का नाम : सिल्विकल्चरल ऑपरेशन योजना का दर निर्धारण
(Open Forest (10-40 प्रतिशत घनत्व) with adequate root stock)

मजदूरी प्रति मानव दिवस (रु० में) : 237.38

200 पौधा प्रति हे० वृक्षारोपण सहित

क्र० सं०	कार्य का विवरणी	इकाई	मानव दिवस	मजदूरी (रु० में)	सामग्री (रु० में)	कुल व्यय (रु० में)	अभियुक्ति
i	ii	iii	iv	v	vi	vii	viii
(A)	वित्तीय वर्ष 2018-19 में अग्रिम कार्य (प्रथम वर्ष) मजदूरी दर प्रति मानव दिवस : रु० 237.38						
1	सर्वेक्षण एवं सीमांकन	हे०	3	712.14	0.00	712.14	
2	कटबेक/कॉपसिंग, क्लाइम्बर कटिंग, स्टम्प ड्रेसिंग आदि	हे०	15	3560.70	0.00	3560.70	
3	न्यूनतम आवश्यकता अनुसार स्वीकृत विभागीय दर पर वन संरक्षक के अनुमोदन से मशीन द्वारा ट्रेंच/पत्थर घेरान अथवा झाड़ी घेरान (i) ट्रेंच घेरान- ऊपर की चौड़ाई 1.83 मी०, नीचे की चौड़ाई 1.22 मी०, गहराई 1.22 मी०, ड्रेसिंग सहित (ii) पत्थर घेरान- ऊपर की चौड़ाई 0.30 मी०, नीचे की चौड़ाई 1.25 मी०, ऊँचाई 1.00 मी० (iii) झाड़ी घेरान	प्रति हे० औसतन 6 चेन	12	2848.56	11782.74	14631.30	प्रति हे० ट्रेंच घेरान 6 चेन का प्रावधान है किन्तु स्थल पर भूगतान वास्तविक कार्य संपादन के अनुसार किया जायेगा
4	मृदा कार्य (0.45 मी. x 0.45 मी. x 0.45 मी.) 0.091 क्यू० मी० अधिकतम 200 पीट प्रति हे० (संरेखन एवं मृदा प्रोफाईल पिट सहित)	हे०	20	4747.60	0.00	4747.60	
5	मृदा एवं जल संरक्षण कार्य - कंदूर ट्रेंच - अधिकतम 50 कंदूर, साईज 5 मी. x 0.45 मी. x 0.45 मी. का खोदा जाना जिसके बीच की दूरी 2 मीटर से 3 मीटर हो तथा इसकी मिट्टी का नीचे ढाल पर 0.15 मीटर हट कर 0.30 मीटर की चौड़ाई में 0.15 मी. गहरा कोड़नी कर रखा जाना।		40	9495.20	500.00	9995.20	अवश्यकतानुसार ढलान पर ही कंदूर ट्रेंच का निर्माण किया जायेगा। कंदूर ट्रेन्च के बर्म पर स्थानीय प्रजाति के बीजों को भी बोया जाएगा।
6	गली प्लगिंग	हे०	6	1424.28	0.00	1424.28	
7	स्थाई पौधशालाओं में उपलब्ध (10% अतिरिक्त) 60% Root-Shoot को 6"x12" आकार की ट्यूब में Pre-sprout कराकर पौधा तैयार करना।	220	2	474.76	960.40	1435.16	स्थायी पौधशाला से क्रय किये गये Tube Plants/ Root-Shoot के क्रय के लिए रु 5.00 की दर से राशि जमा कराई जाएगी। स्थानीय एवं फलदार प्रजाति के बड़े पौधे को प्राथमिकता दी जायेगी
8	वनों की सुरक्षा		2	474.76	0.00	474.76	
	योग-		100	23738.00	13243.14	36981.14	

प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची

वित्तीय वर्ष 2018-19 से 2021-22 तक कार्यान्वित की जाने वाली "सिल्वीकल्चरल ऑपरेशन योजना" (अनुसूचित जनजातीय के लिए विशेष घटक योजना) के अंतर्गत वनों का संवर्द्धन, प्राकृतिक पुनर्जनन, जल एवं भू-संरक्षण तथा 200 पौधा प्रति हे० वृक्षारोपण कार्य का स्थल विवरणी

क्र० सं०	वन प्रमंडल का नाम	वन प्रक्षेत्र का नाम	प्रखण्ड का नाम	PF/RF का नाम	स्थल का नाम	थाना / थाना सं०	जी०पी०एस० को-ऑर्डिनेट	प्लॉट नंबर	क्षेत्रफल (हे० में)
i	ii	iii	iv	v	vi	vii	viii	ix	x
1	हजारीबाग पश्चिमी वन प्रमण्डल, हजारीबाग	बड़कागाँव	बड़कागाँव	.	पकरीबरवाडीह	बड़कागाँव-56	N 23 ⁰ 53' 35.9" E 85 ⁰ 15' 09.7" N 23 ⁰ 53' 31.9" E 85 ⁰ 15' 12.7"	5, 6, 7	50
		हजारीबाग	कटकमसांडी		बेस	हजारीबाग (कटकमसांडी)-1 09	N 23 ⁰ 54' 32.0" E 85 ⁰ 19' 58.0" N 23 ⁰ 54' 30.3" E 85 ⁰ 19' 57.9"	1, 286	48
योग:-									98

प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची



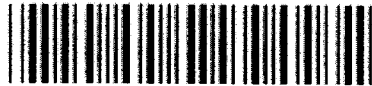
आवंटन आदेश

झारखंड सरकार

चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 में व्यय हेतु निम्नांकित दर्शाए गए बजट शीर्ष के सामने अंकित राशि आवंटित की जाती है

पत्र संख्या - 01/YB-27/2018/1220

दिनांक - 28-Sep-2

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
1	S 19 240601789400103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 40 - 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी State Scheme State Scheme : SILVICULTURAL OPERATIONS(0348) Central Scheme : NA	59089	HZBFWL005 RAJIV RANJAN D.F.O., HAZARIBAG WEST DIV, HZB	2,326,300.00 रुपये तेइस लाख छब्बीस हजार तीन सौ 
2	S 19 240601789400323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 40 - 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री State Scheme State Scheme : SILVICULTURAL OPERATIONS(0348) Central Scheme : NA	59090	HZBFWL005 RAJIV RANJAN D.F.O., HAZARIBAG WEST DIV, HZB	1,297,800.00 रुपये बारह लाख सिल्लानवे हजार आठ सौ 
योग:				3,624,100.00

क्रमिक योग: रुपये छत्तीस लाख चौइस हजार एक सौ


(SHRI SATNAM SINGH)

PCCF, D. B. (HARYANA) RANCHI